सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै - 600 038

(Website: www.icf.indianrailways.gov.in)

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय,

सं/No.PB/RR/39/App. दिनांक 20/05/2019

अधिसूचना संख्या APP / 01 / 2019

शिक्षु अधिनियम, 1961 तथा आरबीई संख्या 120/2015, दिनांक 06/10/2015 के अंतर्गत वर्ष 2019 के लिए निम्नलिखित अभिहित ट्रेड हेतु प्रशिक्षु के रूप में विनियोजन के लिए अर्ह अभ्यर्थियों से ऑन-लाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किया जाता है। नीचे दी गई आवश्यकता अनंतिम है तथा यह प्रशासन इसमें परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

	नया						पूर्व-आईटीआई					
	अना.	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	आ.क..व.	कुल	अना	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	आ.क..व.	कुल
कारपेंटर	16	11	6	3	4	**40**	16	11	6	3	4	**40**
इलेक्ट्रिशियन	32	22	12	6	8	**80**	49	32	18	9	12	**120**
फिट्टर	49	32	18	9	12	**120**	56	38	21	11	14	**140**
मशीनिस्ट	16	11	6	3	4	**40**	16	11	6	3	4	**40**
पेंइटर	16	11	6	3	4	**40**	16	11	6	3	4	**40**
वेल्डर	65	43	24	12	16	**160**	52	35	20	10	13	**130**
कुल						**480**						**510**

ट्रेड	**अना.**	**अ.पि.व.**	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**आ.क.व**	**कुल**	**अना.**	**अ.पि.व.**	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**आ.क..व**	**कुल**
पीएएसएए	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
कुल	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2

प्रयुक्त संक्षेपाक्षर: अ.जा.-अनुसूचित जाति, अ.ज.जा.-अनुसूचित जन जाति, अ.पि.व.-अन्य पिछड़ा वर्ग, अना.-अनारक्षित, आ.क.व.-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पीडब्ल्यूबीडी- बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति, पीएएसएए-प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एसीस्टेंट। जो अभ्यर्थी अजा, अजजा तथा आ.क.व. के हैं उन्हें संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करना चाहिए। अन्यथा उन्हें 'अनारक्षित' के रूप में विचार में लिया जाएगा।

शिक्षु अधिनियम,1961 के अनुसार उपर्युक्त ट्रेड में शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 4% रिक्तियाँ आरक्षित है।

टिप्पणी: 1. यह अधिसूचना पूर्णत: अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण देने के लिए है न कि रोजगार के लिए।

2. अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न अधिकारियों से इस संबंध में पूछताछ न करें। किसी आवश्यकता या स्पष्टीकरण के मामले में, अभ्यर्थी कार्यालय के समय में केवल 044-26147708, 044-26147703 से ही संपर्क कर सकते हैं, जो सप्ताह के दिनों में 09:30 से 17:30 बजे तक और शनिवार को 09:30 से 12:30 बजे तक है।

2. अर्हता शर्तें:

2.1 दिनांक 01/10/2019 को आयु सीमा (15-24 वर्ष) :

अधिकतम आयु सीमा में अ.पि.व. के अभ्यर्थियों हेतु 3 वर्ष, अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों हेतु 5 वर्ष तथा बेंचमार्क विकलांगता अभ्यर्थियों (पीडब्ल्यूबीडी) हेतु 10 वर्ष तथा पीडब्ल्यूबीडी/अपिव हेतु 3 वर्ष तथा पीडब्ल्यूबीडी/अजा एवं अजजा हेतु 5 वर्ष की छूट होगी।

प्रत्येक समुदाय हेतु अपेक्षित जन्म तिथि निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

	अना एवं आकव	**अपिव**	**अजा एवं अजजा**	**पीडब्ल्युबीडी अना एवं आकव**	**पीडब्ल्यूबीडी/ अपिव**	**पीडब्ल्यूबीडी/अजा एवं अजजा**
वर्ष के मध्य जन्म	02/10/1995 से 01/10/2004	02/10/1992 से 01/10/2004	02/10/1990 से 01/10/2004	02/10/1985 से 01/10/2004	02/10/1982 से 01/10/2004	02/10/1980 से 01/10/2004

हेमा रमेश
20.5.19

2.2 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ एवं प्रशिक्षणावधि:

पूर्व-आईटीआई	योग्यताएँ	प्रशिक्षणावधि
फिट्टर, इलेक्ट्रिशियन एवं मशीनिस्ट	10+2 पद्धति के तहत विज्ञान एवं गणित विषयों अथवा इसके समकक्ष सहित **कक्षा X (कम से कम 50% अंक सहित)** उत्तीर्ण होना चाहिए तथा निर्दिष्ट ट्रेड में नेशनल ट्रेड प्रमाणपत्र भी होना चाहिए जो नेशनल काउंसिल फॉर वॉकेश्नल ट्रेनिंग द्वारा निर्गत किया गया हो।	1 वर्ष
कारपेन्टर, पेइंटर, वेल्डर,	10+2 पद्धति के तहत **कक्षा X उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा इसके समकक्ष (जिसमें 50% अंक होना चाहिए)** तथा निर्दिष्ट ट्रेड में नेशनल ट्रेड प्रमाणपत्र भी होना चाहिए जो नेशनल काउंसिल फॉर वॉकेश्नल ट्रेनिंग द्वारा निर्गत किया गया हो।	1 वर्ष
प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एसीस्टेंट	**कक्षा X उत्तीर्ण होना चाहिए (जिसमें 50% अंक होना चाहिए)** तथा कंप्यूटर ऑप्रेटर एंड प्रोग्रामिंग एसीस्टेन्ट के ट्रेड में नेशनल ट्रेड प्रमाणपत्र भी होना चाहिए जो नेशनल काउंसिल फॉर वॉकेश्नल ट्रेनिंग द्वारा निर्गत किया गया हो।	1 वर्ष
नया	**योग्यताएँ**	**प्रशिक्षणावधि**
फिट्टर, इलेक्ट्रिशियन एवं मशीनिस्ट	10+2 पद्धति के तहत विज्ञान एवं गणित सहित **कक्षा X उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा इसके समकक्ष (जिसमें कुल योग का न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए)**	2 वर्ष
कारपेन्टर एवं पेइंटर	10+2 पद्धति के तहत **कक्षा X उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा इसके समकक्ष (जिसमें कुल योग का न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए)**	2 वर्ष
वेल्डर	10+2 पद्धति के तहत **कक्षा X उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा इसके समकक्ष (जिसमें कुल योग का न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए)**	1 वर्ष 3 महीना

टिप्पणी:

1.प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों को छोड़कर किसी अन्य कारणों से प्रशिक्षण में भाग नहीं लेने संबंधी अनुमति नहीं होगी। प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के पहले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु करार का निष्पादन करना होगा।

2.वैसे अभ्यर्थी, जो जानबूझकर अनुपस्थित रहते हैं तो वे प्रशिक्षण का पूरा लागत लौटाने के लिए भागीदार होगा, साथ ही साथ केन्द्रीय प्रशिक्षु सलाहकार द्वारा निर्धारितानुसार भुगतान किए गए छात्रवृत्ति की राशि भी लौटाना होगा।

2.3 अधिनियम प्रशिक्षु के विनियोजन का स्रोत (रेलवे बोर्ड का पत्र No E(MPP)2001/6/7 dated 22.07.2002) **के अनुसार:-**

1. नजदीक के रोजगार एक्सचेंज
2. अ.जा. / अ.ज.जा. संगठन
3. वर्तमान आईटीआई तथा
4. रेल कर्मचारी के बच्चे

वैसे अभ्यर्थी जो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आनेवाले **स्थानीय रोजगार एक्सचेंज** में निबंधित हैं, आवेदन करने हेतु अर्ह हैं। स्थानीय रोजगार एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन की तिथि, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से परे नहीं होना चाहिए।

हालांकि, **रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्थानीय रोजगार में निबंधित होना जरूरी नहीं होगा** तथा उन्हें रेल कर्मचारी का पहचान पत्र / सेवा प्रमाण-पत्र की प्रति अपलोड करना चाहिए, जो संबंधित यूनिट, जहाँ रेलवे कर्मचारी कार्यरत है / था, का नियंत्रण अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया हुआ होना चाहिए।

2.4 छात्रवृत्ति की दर:-

नया	1ला वर्ष के दौरान ₹5,700/- प्र.मा. 2रा वर्ष के दौरान ₹6,500/- प्र.मा.
पूर्व-आईटीआई अभ्यर्थी	1ला वर्ष के दौरान ₹5,700/- प्र.मा. 2रा वर्ष के दौरान ₹6,500/- प्र.मा. 3रा वर्ष के दौरान ₹7,350/- प्र.मा.

हेमा रमेश
20.5.19

	आईटीआई में प्रशिक्षणावधि को छात्रवृत्ति भुगतान करने की दर निर्धारण करने की उद्देश्य हेतु गणना में ली जाएगी।

3. आवेदन कैसे करें:

3.1 ऑनलाइन से आवेदन करें:

1. ऑनलाइन से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा सडिका के वेबसाइट में **दिनांक 20/05/2019 को 09.30 बजे से 24/06/2019 को 17.00 बजे तक** उपलब्ध रहेगी।
2. आवेदन पत्र ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएँगे।
3. आवेदन करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सडिका का वेब पोर्टल www.icf.indianrailways.gov.in में लॉगऑन करें तथा "Appretice 2019" लिंक में क्लिक करें।
4. अभ्यर्थियों को अधिसूचना ठीक से पढ़ना चाहिए तथा ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्र को ठीक से भरना चाहिए। आवेदन पत्र भरने के पहले अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज / प्रमाण पत्र का स्केन किया हुआ प्रति तैयार रखना चाहिए।
5. सिस्टम जेनेरेटड एप्लीकेशन नम्बर अभ्यर्थियों का इंडिविजुअल यूजर आईडी होगा और जन्म तिथि उसका पासवर्ड होगा।
6. जेनेरेटड एप्लीकेशन नंबर का प्रयोग करे, अभ्यर्थी पासवर्ड जैसे जन्म तिथि "ddmmyy" format का प्रयोग कर लॉगिंग कर सकते हैं।
7. प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में ₹100/- की राशि ऑनलाइन से भुगतान किया जाना चाहिए अथवा निधि स्थानांतरण हेतु बैंक खाता संख्या नीचे दिया गया है। अजा / अजजा / पीडब्ल्यूबीडी / महिला अथ्यर्थियों को आवेदन शुल्क नहीं लगेगा।
   - क. खाता नाम : विसमुलेधि / सडिका
   - ख. खाता संख्या : 05680210000328
   - ग. बैंक का नाम : यूको बैंक / सडिका कॉलोनी / चेन्नै
   - घ. आईएफएससी कोड : UCBA0000568
   - ङ. एमआईसीआर सं. : 600028006
   - च. अभ्युक्ति : **अभ्युक्ति कॉलम में ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन नम्बर अवश्य लिखें अन्यथा आपका आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा।**
8. शुल्क भुगतान करने का साक्ष्य को अपलोडिंग करते समय आवेदन प्रपत्र में उपलब्ध सही स्थानों में बैंक ट्रांजेक्शन-आईडी संदर्भ संख्या को भी भरें।
9. **अभ्यर्थियों द्वारा एक बार अदा किया गया शुल्क को किसी भी परिस्थिति में सडिका द्वारा वापस नहीं लौटाया जाएगा।**
10. निम्नलिखित प्रमाण-पत्र को jpg/jpeg format (file size 50-200kbmax) में अपलोड किया जाना चाहिए।
    - क. कक्षा X का अंकपत्र
    - ख. जन्म प्रमाण पत्र
    - ग. अजा / अजजा / अपिव / आकव हेतु जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
    - घ. रोजगार एक्सचैंज रजिस्ट्रेशन कार्ड
    - ङ. माता या पिता का पहचान पत्र / सेवा प्रमाण-पत्र **(रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के मामले में)**
    - च. पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
    - छ. आईटीआई अनंतिम एवं अंकपत्र एनसीवीटी/एससीवीटी
    - ज. पासपोर्ट आकार का फोटो
    - झ. प्रोसेसिंग शुल्क रसीद
    - ञ. आधार कार्ड
11. प्रस्तुत बटन क्लिक करने के पहले अभ्यर्थियों को जॉच कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा भरे गए विवरण सही है। अंतिम रूप से आवेदन को प्रस्तुत करने के पहले जॉच कर लें कि सभी दस्तावेजों को सही तरीके से अपलोड कर दिया गया है।
12. अभ्यर्थियों को कोई भी दस्तावेज, सिस्टम जेनेरेटड आवेदन पत्र को डाक / ई-मेल / फैक्स द्वारा या हाथों-हाथ सडिका में देने / भेजने की आवश्यकता नहीं है।

हेमा रमेश
20.5.19

13. अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन फॉर्म सिस्टम द्वारा जेनेरेट किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सिस्टम द्वारा उत्पन्न आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट ले लें तथा हाल ही में लिया गया पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं और दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन पत्र में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर करें।

3.2 **<u>अंतिम तारीख</u>** : आवेदन करने की अंतिम तारीख **24.06.2019 को 17.00** बजे है।

3.3 **<u>सूचना देने का तरीका</u>**: सडिका प्रशासन से सभी सूचनाएँ केवल ई-मेल आईडी अथवा एसएमएस द्वारा ही भेजे जाएंगे और चयन / पात्रता सूची सडिका के वेब पोर्टल www.icf.indianrailways.gov.in पर अपलोड कर दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को चयन पूरा होने तक उसी मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को बनाए रखना चाहिए तथा सडिका प्रशासन आपके मोबाइल या ई-मेल आईडी में परिवर्तन के कारण सूचनाएँ प्राप्त नहीं होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। **उम्मीदवारों को आगे के अपडेट के लिए https://pbicf.gov.in वेबसाइट को देखते रहना चाहिए।**

3.4 सडिका प्रशासन से सभी एसएमएस संसूचनाएँ सिर्फ **7397755127**, **9003166379** अथवा **9003166378** से ही दिया जाएगा। ये नंबर सिस्टम से कनेक्ट किया गया है। इस नंबर में कोई भी फोन कॉल किया जाता है तो उसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। सभी ई-लेल actappicf@gmail.com से ही भेजा जाएगा।

4. **<u>विनियोजन करने का तरीका</u>** : समान अधिमान देते हुए कक्षा X (नया हेतु) तथा कक्षा X एवं आईटीआई (पूर्व-आईटीआई अभ्यर्थियों हेतु) में प्राप्त अंकों के क्रम में अर्ह आवेदकों को बुलावा जाएगा।

4.1 **<u>अंक समान होने की स्थिति में विचार में लेना</u>**: दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने के मामले में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। जन्म तिथि भी समान होने के मामले में वैसे अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा जिन्होंने कक्षा X पहले उत्तीर्ण की हो।

4.2 **<u>ट्रेड का आवंटन</u>**: नए अभ्यर्थियों के पास ट्रेड का चयन करने का विकल्प नहीं होगा। उन्हें करार के पंजीकरण के समय उपलब्ध रिक्तियों से योग्यता के आधार पर प्रशासन द्वारा ट्रेड आवंटित किया जाएगा। एक बार ट्रेड चुन लेने के बाद, ट्रेड का परिवर्तन के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। पूर्व - आईटीआई कोटा के मामले में, उन्हें उस ट्रेड में ही प्रशिक्षित किया जाएगा जिसमें वे आईटीआई प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं।

4.3 **<u>शारीरिक फिटनेस का स्टैन्डर्ड</u>**: शिक्षु अधिनियम-1961 के अंतर्गत लागू शर्तों के अनुसार अभ्यर्थियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रपत्र में सरकारी प्राधिकृत चिकित्सक (राजपत्रित) द्वारा हस्ताक्षरित, केन्द्रीय / राज्य सरकार के सहायक सर्जन के पद से नीचे नहीं, एक मेडिकल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, कृपया इस संबंध में रेलवे बोर्ड का पत्र No.E(MPP)/2009/6/14 dated 04.12.2018 देखें।

4.4 **<u>उच्च योग्यता</u>**: **इंजीनियरींग डिग्री / डिपलोमा** जैसे उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु अर्ह नहीं है।

4.5 **<u>स्थानांतरण प्रमाण पत्र</u>: प्रमाणपत्र के सत्यापन के दौरान अर्हक परीक्षा (कक्षा XII / X / आईआईटी) पूरी / उत्तीर्ण करने संबंधी मूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र अवश्य ही प्रस्तुत करना चाहिए।**

4.6 **<u>प्रशिक्षण प्रारम्भ होना</u>**: 01/10/2019 के बाद किसी भी तिथि को शिक्षुता प्रशिक्षण प्रारम्भ होगी।

4.7 **<u>घोषणा</u>**: उम्मीदवारों को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है कि उन्हें पता है कि उन्हें भविष्य में सडिका / रेलवे में रोजगार पाने का कोई अधिकार नहीं है।

5. **<u>अन्य शर्तें</u>** :

1. यह स्पष्ट किया जाता है कि चयन तथा प्रशिक्षण हेतु शिक्षु अधिनियम-1961 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाएगा तथा **प्रशिक्षण पूरा करने के बाद शिक्षु को रोजगार देने की कोई गारंटी नहीं होगी।**
2. चयनित अभ्यर्थियों को इस प्रशासन द्वारा समय-समय पर लागू किए जानेवाले नियम व विनियम का पालन करना होगा।
3. यदि, अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए कोई भी घोषणा असत्य पाया जाता है तो बिना सूचना दिए प्रशिक्षणावधि के किसी भी चरण में उन्हें अयोग्य ठहराया जाएगा / उनका प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाएगा।
4. हिन्दी पाठ में किसी भी तरह का विवाद होने के मामले में अंग्रेजी पाठ ही मान्य होंगे।

हेमा रमेश 20.5.19
सहायक कार्मिक अधिकारी / भर्ती

(कौशल भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षुता)